Appendix 'A'

Headquarters, Coast Guard Region (A&N), Port Blair

Post Box No. 716, Haddo Post, Port Blair – 744 102

RECRUITMENT NOTICE FOR CIVILIAN VACANCY

Applications from willing and eligible candidates are invited for filling up of 01 (SC) vacancy of Motor Transport Fitter on direct recruitment basis.

The details of eligibility criteria for above mentioned posts can be seen on the web portal of Indian Coast Guard i.e. **www.indiancoastguard.gov.in**. Applications of the eligible candidates, complete in all respects, should reach the office of the Commander Coast Guard Region (A&N), Port Blair within 30 days from the date of publication of the advertisement in Employment News.

Commander
Coast Guard Region (A&N)

मुख्यालय, तटरक्षक क्षेत्र (अं एवं नि), पोर्ट ब्लेयर
पोस्ट बॉक्स सं. 716, हैडो डाकघर, पोर्ट ब्लेयर–744102

असैनिक रिक्ती के लिए भर्ती नोटिस

सीधी भर्ती के आधार पर मोटर परिवहन फिटर के 01 (अनुसूचित जाति) रिक्त पद को भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमत्रित किए जाते हैं।

उपरोक्त पदो के लिए पात्रता मापदड का विवरण भारतीय तटरक्षक के वेब पोर्टल अर्थात **www.indiancoastguard.gov.in**. पर देखा जा सकता है। सभी प्रकार से पूर्ण, योग्य उम्मीदवारों के आवेदन, कमाडर, तटरक्षक क्षेत्र (अ एव नि), पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहुच जाने चाहिए।

कमाडर
तटरक्षक क्षेत्र (अ एव नि)

Appendix 'B'

HEADQUARTERS, COAST GUARD REGION (A&N), PORT BLAIR
POST BOX NO. 716
HADDO POST, PORT BLAIR – 744 102

Recruitment of Civilian Vacancy in Indian Coast Guard Region (A&N), Port Blair

1. Applications in the prescribed proforma are invited from the Indian Nationals for filling up the following post on direct recruitment basis. The eligibility criteria, age etc are mentioned against post as per following details:-

Name of the post	No. of posts/ category	Qualification	Age	Level in the Pay Matrix
Motor Transport Fitter (General Central Service. Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial)	01* (SC) *Subject to variation dependent on work-load	**Essential:-** (a)Matriculation or equivalent (b)Two years experience in automobile workshop. **Desirable:-** I.T.I Diploma in relevant trade	18-27 years (Relaxable for Govt. Servants, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and OBC as per Govt. instructions issued from time to time)	Level-02

2. The number of vacancies indicated in the advertisement are provisional and may increase or decrease or even become NIL depending upon the actual needs of the Region. The Administration also reserves the right to cancel the notified vacancies, at its discretion and such decision will be final and binding on all in the event of cancellation of notified vacancies.

3. Reserved category candidates applying against unreserved post will not be entitled for age relaxation. Upper age limit is relaxable upto 05 years for SC candidates as applicable as per orders issued by Central Govt. from time to time.

4. The crucial date for reckoning the eligibility with regards to age and educational qualification etc. will be the **last date for receipt of applications**.

5. Candidates in Central Govt. Service should submit NOC from their present employer along with application.

6. Candidates to bring original documents on the date of written examination.

7. The initial posting of the above vacancy will be at **Coast Guard District Headquarters-14, Port Blair**. However, selected candidates on appointment are liable to serve anywhere in India.

8. Candidates who wish to be considered against vacancies reserved and seek age relaxation, must submit requisite certificate from the competent authority along with their application for the written test, otherwise, their claim for SC status will not be entertained. The format of certificate for SC category is placed at Annexure-I.

9. The testing procedure is as follows:-

(a) **Written test.** The written test will consist of subjects in General English, General Knowledge, Simple Maths and relevant trade questions based on the qualification prescribed for the post applied. Written test will be of multiple choice questions. The maximum marks for the written test will be 80 marks and one hour duration. Candidates must obtain 50% marks to qualify and the candidates who qualify the written test are to be shortlisted for the trade test. In case of SC candidates, the qualifying marks shall be 45%.

(b) **Trade/Skill Test.** The candidates who qualify the written test will be called for trade/skill test. The trade/skill test will be qualifying in nature and shall have no bearing on the overall merit. Selection will be based on marks/merit obtained in written test only.

10. **How to apply:-** Candidates fulfilling eligibility criteria should send their application neatly typed or hand written in the format given over leaf along with two passport size photographs (One photo to be affixed on the application form).

11. The application, should be forwarded to **The Commander, Coast Guard Region (A&N), Port Blair, Post Box No. 716, Haddo (PO), Port Blair – 744 102, A&N Islands** within 30 days from the date of publication of this advertisement in Employment News. The envelope containing the application must be superscribed as **"Application for the post of Motor Transport Fitter"**.

12. Application should be submitted **By Ordinary Post only**. The application should accompany the self attested copies of Educational qualification certificate, Age proof, Caste Certificate for SC/ST/OBC candidates and experience certificate. **Application sent by Courier/Speed/Registered post or received after due date will be rejected**.

13. Applications which are not in the prescribed format/without the above mentioned certificates/ duly self attested/without photographs/without signature of the candidates will be summarily rejected.

FORMAT OF APPLICATION

passport size colour Affix recent photo with signature

APPLICATION FOR THE POST OF MOTOR TRANSPORT FITTER

(a)	Name of the Post	:	
(b)	Name of the applicant	:	
(c)	Father's Name	:	
(d)	Date of Birth	:	
(e)	Nationality	:	
(f)	Identification marks	:	
(g)	Whether SC/ST/OBC/PH	:	
(h)	Educational qualification (i) Technical (ii) Non technical	:	
(j)	Experience (in relevant trade)	:	
(k)	Marital status	:	
(l)	Whether employed in Central Govt/State Govt./PSU. If yes, attach NOC	:	
(m)	Address for communication with PIN Code	:	
(n)	Permanent address	:	

DECLARATION

I do hereby declare that the particulars furnished above by me are correct to the best of my knowledge and belief, in the event of any information being found to be false or incorrect my candidature/appointment may be cancelled/ terminated without any notice.

Place: ________

Date ________

(Left hand thumb impression)

Signature of the applicant

ANNEXURE-I

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SC/ST

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari ____________ Son/daughter of Shri____________ of Village/Town ____________ in District/Division ____________ of the State/Union Territory ____________ belongs to the ____________ caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe under

- The Constitution (Scheduled Caste) order, 1950
- The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950
- The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories)order, 1951
- The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories)order, 1951
- (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification Order)1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act,1966, the State of Himachal Pradesh Act,1970, the North Eastern Areas(Reorganisation) Act, 1971, and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976.)
- The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956
- The Constitution(Andaman & Nicobar Islands)Scheduled Tribes Order,1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders(Amendment) Act,1976
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order,1962
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order,1962
- The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order,1967
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- The Constitution(Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989
- The Constitution(Scheduled Castes)Order Amendment Act , 1990
- The Constitution(Scheduled Tribes)Order Amendment Act,1991
- The Constitution(Scheduled Tribes)Order Second Amendment Act,1991
- The Constitution(Scheduled Tribes)Order Amendment Ordinance,1996

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt____________ Father/Mother of Shri/Smt./Kumari ____________ of village/Town ____________ in District/Division ____________ of the State/UT ____________ who belong to the ____________ Caste/Tribes which is recognized as a SC/ST in the Sate/Union Territory____________ Issued by the ____________

(Name of the Prescribed issuing authority) vide their No. ____________ dated ____________

3. Shri/Shrimati/Kumari ____________ and or his/her family ordinarily reside (s) in village/ Town ____________ of ____________ District/Division of the state/Union Territory of ____________

Place ____________

Date ____________

Signature____________

Designation____________

(With seal of Office)

NOTE: The terms 'ordinarily' reside (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

- Please delete the words which are not applicable.
- Applicable in the case of SCs,STs persons who have migrated from one State /UT.

List of authorities empowered to issue caste tribes certificate

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Dy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub divisional Magistrate/Extra - Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.

2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his family normally resides.

(Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate **ONLY FROM THE REVENUE DIVIDION OFFICER**.)

मुख्यालय, तटरक्षक क्षेत्र (अं एवं नि), पोर्ट ब्लेयर
पोस्ट बॉक्स सं. 716
हैडो पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर–744102

भारतीय तटरक्षक मुख्यालय (अं एवं नि), पोर्ट ब्लेयर में असैनिक रिक्ती के लिए भर्ती

1. सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित पद भरने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते है। निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए पात्रता मापदंड, आयु आदि का उल्लेख किया गया है:–

पद का नाम	पदों की संख्या / वर्ग	योग्यता	आयु	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
मोटर परिवहन फिटर (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह –ग अराजपत्रित गैर–अनुसचिवीर्य)	01* अनुसूचित जाति * कार्यभार में परिवर्तन की मात्रा पर निर्भरता	अनिवार्य:–- (क) मैट्रिक अथवा समकक्ष (ख) अटोमोबाइल वर्कशाप में दो वर्ष का अनुभव। बाछनीय:- आई टी आई संगत ट्रेड में डिप्लोमा	18–27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए छूट)	स्तर - 02

2. विज्ञापन में निर्दिष्ट रिक्तियों की संख्या अस्थाई है और क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बढ सकती है या घट सकती है या यहां तक कि शून्य हो सकती है। प्रशासन के पास अपने विवेकाधिकार पर अधिसूचित रिक्तियों को रदद करने का अधिकार भी सुरक्षित है और अधिसूचित रिक्तियों को रदद करने की स्थिति में इस प्रकार का निर्णय अतिम और बाध्यकारी होगा।

3 अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार आयु में छूट के हकदार नहीं होंगे। समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुसार अनुसुचित जातियों के लिए 05 साल तक का प्रावधान है।

4. आयु और शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के संबध में पात्रता संगणन के लिए महत्वपूर्ण **तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।**

5. केन्द्र सरकार में कार्यरत उम्मीदवार को आवेदन के साथ अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना चाहिए।

6. उम्मीदवार को लिखित परीक्षा की तारीख पर अपने मूल दस्तावेज लाने होंगे।

7. उपरोक्त रिक्त पद की प्रारंभिक तैनाती **तटरक्षक जिला मुख्यालय – 14, पोर्ट ब्लेयर** में होगी। हालांकि नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार भारत में कही भी सेवा करने के लिए उतरदायी होंगे।

8. उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और उम्र में छूट चाहते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए अपने आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण–-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा अनुसूचित जाति की स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नही किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारुप अनुलग्नक–1 में संलग्न है।

9 परीक्षण प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

(अ) **लिखित परीक्षण**:– लिखित परीक्षा में आवेदन किए गए पद के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर सामान्य ज्ञान, साधारण गणित और प्रासंगिक ट्रेड प्रश्न शामिल होंगे! लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी! लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम 80 अंक होंगे और एक घटे की अवधि होगी। उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त करने के लिए 50 / अंक प्राप्त करने होंगे और जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा उत्तिर्ण करेंगे उन्हे ट्रेड टेस्ट (व्यवसायिक परीक्षणो के लिए चयनित सूची) मे शामिल किया जाएगा! टनूसूचित जाति के उम्मीदवार के मामले में अर्हता अक 45 / होगा!

(ब) कौशल परीक्षण:– लिखित परीक्षा उतीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षण मे उतीर्ण होना होगा और इसका समग्र योग्यता पर कोई प्रभाव नही पडेगा । चयन केवल लिखित परीक्षा मे प्राप्त अकों / योग्यता के आधार पर होगा।

10 **आवेदन कैसे करें**: पात्रता मापदण्ड को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरों (एक तस्वीर आवेदन पत्र पर सलग्न होनी चाहिए) के साथ दिए गए प्रारुप मे अच्छी तरह से टाइप या हस्तलिखित कर भेजे!

11 आवेदन केवल सामान्य डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आयु, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारो के लिए) और अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिया आवेदन के साथ सलग्न करे। **कुरियर/तीव्र/पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए आवेदन अथवा देय तिथि के बाद प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

12. आवेदन, **कमांडर तटरक्षक क्षेत्र (अं एव नि), पोर्ट ब्लेयर, पोस्ट बॉक्स सं. 716, हैडो पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर –744102, अं एवं नि, द्वीप समूह** को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भेजा जाए। आवेदन युक्त लिफाफा के ऊपर **"मोटर परिवहन फिटर (अनुसूचित जाति)"** के पद के लिए आवेदन का उल्लेख किया जाए।

13 आवेदन जो निर्धारित प्रपत्र मे नहीं हैं/आवश्यक उपरोक्त प्रमाण पत्र बिना विधिवत स्वं प्रमाणित/बिना फोटो/उम्मीदवारो के हस्ताक्षर के बिना सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन का प्रारुप

नवीनतम रगीन पासपोर्ट आकार की फोटो हस्ताक्षर सहीत चिपकायें

मोटर परिवहन फिटर के पद के लिए आवेदन

(क)	आवेदित पद का नाम	:	
(ख)	आवेदक का नाम	:	
(ग)	पिता का नाम	:	
(घ)	जन्म तिथि	:	
(ड)	राष्ट्रीयता	:	
(च)	पहचान चिन्ह	:	
(छ)	क्या अ. जा/अ. जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग /पीएच हैं ?	:	
(ज)	**शैक्षणिक** योग्यता (i) तकनीकी (ii) गैर तकनीकी	:	
(झ)	अनुभव (सबधित व्यवसाय मे)	:	
(ञ)	वैवाहिक **स्थिति**		
(ट)	यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के कर्मचारी है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र सलग्न करे		
(ठ)	पत्राचार का पता पिन कोड के साथ	:	
(ड)	स्थायी पता	:	

घोषणा

मैं यह **घोषणा** करता हू कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान और **विश्वास** के अनुसार सही है। किसी भी जानकारी के झूठी या गलत साबित होने की **स्थिति** मे मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द अथवा समाप्त की जाए।

स्थान___________

दिनाक ___________

आवेदक के हस्ताक्षर

(बाएँ हाथ के अगूठा का **निशान**)

<u>संलग्नक - I</u>

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ------------------------------ सुपुत्र/ सुपुत्री श्री ------------------------- निवास ग्राम/ कस्बा ------------------- जिला/ राज्य / संघ प्रदेश -------------------- का निवासी --------------------- जाति / जनजाति समुदाय से है जो निम्नलिखित जाति / जनजाति के अंतर्गत मान्यता प्रास है:

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ प्रदेश) आदेश आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियाँ) और जनजातियों को यथा संशोधित सूची (आशोधन आदेश) 1956, बॉम्बे पुनः आयोजन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनः आयोजन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनः आयोजन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976)
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अंडमान एवं निकोबार - द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 यथा संशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976
- संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पोण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तरप्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वितीय आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वितीय आदेश संशोधन अध्यादेश, 1996

2. यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमति / कुमारी के माता-पिता श्री / श्रीमति को जारी किये गए अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर --------------------------- ग्राम/ शहर ----------------------- जिला/ प्रभाग ------------------------ राज्य/ संघ प्रदेश के -------------------------- जाति/ जनजाति के सदस्य है जिन्हे राज्य/ संघ प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में मान्यता प्रास है (निर्धारित निर्गम प्राधिकारी का नाम) के द्वारा निर्गम सं -----------------दिनांक --------------------- द्वारा जारी किया जाता है।

श्री/ श्रीमति / कुमारी -------------------------- एवं उसकी/ उसका परिवार साधारणतया ग्राम/ शहर ------------------ ...ला/ राज्य का प्रभाग / संघ राज्य के निवासी है।

हस्ताक्षर: ----------------------

स्थान: ----------------

पदनाम---------------------

दिनांक: ---------------

(कार्यालय मोहर सहित)

टिप्पणी: 'साधारणतया' निवास संबन्धित शब्द का प्रयोग (इस्तेमाल) का अर्थ कर्मचारी शिकायत अधिनियम, 1950 के अनुभाग 20 के समान अर्थ होगा।

ऐसे शब्द जो प्रयोज्य (लागू) न हों उन्हे निकाल दिया जाए।

अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति जो एक राज्य/ संघ प्रदेश के प्रवासी हैं, पर यह लागू होगा।

प्राधिकारियों की सूची जो जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समर्थ है

1. जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उप आयुक्त/ अपर उप आयुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी (वेतनभोगी) मैजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / ताल्लुका मैजिस्ट्रेट / कार्यपालक मैजिस्ट्रेट।
2. मुख्य महाप्रान्त मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त (अपर) मुख्य महाप्रान्त मैजिस्ट्रेट/ महाप्रान्त मैजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसील के रैंक से नीचे के पद पर न हो।
4. क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उनका परिवार साधारणतया निवास कर रहा है।

(टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के जनजाति उम्मीदवार **(केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी)** द्वारा जारी किया गया जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)